

कार्यालय-प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या :

/आदेश/एण्टी रैगिंग समिति/12/2026-27,

दिनांक : 07-अक्टूबर-2026

आवश्यक सूचना

इस संस्था में अध्ययनरत समस्त एम0बी0बी0एस0 छात्रों को सूचित किया जाता है कि संस्थान ,परिसर, छात्रावास, कक्षा-कक्ष, कैंटीन ,खेल परिसर तथा संस्थान से संबंधित किसी भी स्थान पर रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित Anti-Ragging Regulations के अनुसार किसी भी नए अथवा अन्य विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना, अपमानित करना, डराना, धमकाना, जबरन कोई कार्य करवाना अथवा किसी भी प्रकार की रैगिंग करना गंभीर अनुशासनहीनता है। रैगिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाए जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध संस्थान के नियमों तथा लागू UGC/कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में दोषी विद्यार्थी का निलंबन, निष्कासन, छात्रावास से निष्कासन अथवा अन्य निर्धारित दंड शामिल हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति सम्मान, गरिमा, सहयोग एवं सौहार्द की भावना बनाए रखें तथा संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त परिसर बनाने में सहयोग करें।

रैगिंग की किसी भी घटना अथवा संभावित घटना की जानकारी होने पर उसे तुरंत एंटी-रैगिंग समिति/नोडल अधिकारी/संस्थान के संबंधित अधिकारी को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा।

रैगिंग करें नहीं, सहें नहीं और छिपाएँ नहीं।

रैगिंग मुक्त परिसर — हमारी जिम्मेदारी, रैगिंग करना अपराध है और पूर्णतः प्रतिबंधित है।

प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय
झाँसी।

संख्या : 4649 /आदेश/एण्टी रैगिंग/12/2026-27, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1) समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी।
- 2) अध्यक्ष, एण्टीरैगिंग समिति, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
- 3) अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, रैगिंगरोधी उड़न दस्ता, मेडिकल कॉलेज झाँसी को प्रतिलिपि इस आशय से कि वे समय समय पर छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, समस्त यू0जी0 छात्रावास, मेडिकल कालेज झाँसी को प्रतिलिपि इस आशय से कि वे छात्रावासों में रैगिंग सम्बन्धी घटनाओं का रोकने/जागरूकता बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5) नोटिस बोर्ड समस्त छात्रावास/आदेश पुरितका।
- 6) प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।

प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय
झाँसी।